न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 18/2014

दायर तारीख 19/03/2014

अनवान

1. श्रीमति धन्नी पुत्री भवाना रेगर पत्नि घीसा उम्र 70 वर्ष निवासी बिजौलियां हाल मुकाम माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. **श्रीमति नाराणी पुत्री भवाना रेगर पत्नि टोला मृतक :–**
   2.1 नन्दा पुत्र नाराणी पिता भवाना उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
   2.2 रतन पुत्र नाराणी नाराणी पिता भवाना उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. श्रीमती सारू पुत्री भवाना रेगर पत्नि घीसा उम्र 60 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. श्रीमती धापू पुत्री भवाना रेगर पत्नि घीसा उम्र 55 वर्ष निवासी बिजौलियां हाल मुकाम धोरेला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
5. श्रीमती प्रतापी पुत्री भवाना रेगर पत्नि घीसा उम्र 50 वर्ष निवासी बिजौलियां हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।

.....वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां हाल मुकाम राणी जी की बावड़ी के पास लंका गेट तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज.)।
2. सत्यनारायण पुत्र ऊंकार उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. सीता देवी पत्नि शम्भुलाल उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. लीला देवी पत्नि ओमप्रकाश उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
5. कस्तुरचन्द पुत्र घीसा उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
6. रूकमा पत्नि मदनलाल उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :–07/10/2025

संक्षेप में तथ्य प्रकरण के इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ द्वारा दिनांक 19.03.2014 को एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के तहत प्रतिवादीगणों के खिलाफ प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया गया कि ग्राम बिजौलिया कला तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में सम्वत 2031 से 2033 की जमाबन्दी में खातेदार भवाना पिता रामा जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की निम्न आराजी नं. 761 रकबा 15 बिस्वां, आराजी नं. 762 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, आराजी नं. 770 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वां, आराजी नं. 771 रकबा 2 बीघा कुल किता 04 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वां भूमि

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

एवं भवाना पुत्र रामा रेगर 1/3 हिस्सेदार की आराजी नं. 763 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वां, आराजी नं. 765 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वां, आराजी नं. 765 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वां, आराजी नं. 766 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वां, आराजी नं. 767 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वां, आराजी नं. 768 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वां, आराजी नं. 769 रकबा 06 बिस्वां कुल किता 07 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वां भूमि स्थित हैं। खातेदार भवाना पुत्र रामा वादीगण के पिता थे जिनका देहावसान करीब सम्वत 2031 में हो गया जिनके वादीगण 05 पुत्रियां व देबीलाल पुत्र था। जिसका देहावसान भी सम्वत 2043 के करीब हो गया। जिसके एक मात्र पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी होकर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर का हिस्सा निहित होकर प्रत्येक वादीगण का 1/6 हिस्सा हैं वादीगण ने अपना हिस्सा किसी को हस्तांतरित नही किया हैं। खातेदार भवाना पिता रामा के देहावसान के बाद उनके पुत्र देबीलाल पिता भवाना ने भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया से मिली भगत कर उक्त आराजीयात को अपने अकेले के नाम राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरित करवा ली जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादीगण उक्त आराजीयात के बराबर हिस्सेदार होकर देबी के साथ राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराये जाने थे। राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण का नाम जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया किन्तु इससे वादीगण के हक व हिस्से किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता हैं। कानूनन वादीगण सह खातेदार हैं व रहे। देबी पुत्र भवाना रेगर के देहावसान के उपरान्त उक्त आराजी उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गई जबकि वादीगण भी उक्त पुश्तैनी आराजीयात की सह काश्तकार होकर राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ दर्ज रेकॉर्ड होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम दर्ज उक्त आराजी का नाजायज लाभ अर्जित करने हेतु विवादित आराजीयात को अलग अलग समय पर प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के नाम विक्रय कर दी इस प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित समस्त आराजीयात जो वादीगण के पिता भवाना रेगर के खातेदारी की थी वह वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के नाम दर्ज रेकॉर्ड हो गयी हैं और प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 वादीगण के हितो के विपरीत उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। दिनांक 09.01.2014 को वादीगण ने राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त की तब उक्त गलत अंकन की सर्वप्रथम जानकारी हुई प्रत्येक वादीगण विवादित उक्त आराजीयात की सह काश्तकार होकर वाद पत्र की कलम संख्या 01 (अ) में वर्णित आराजी में प्रत्येक वादिया 1/6 हिस्से के खातेदार होकर प्रतिवादी संख्या 01, 1/6 का खातेदार काश्तकार था इस अनुसार उसे अपने 1/6 हिस्से से अधिक भूमि का हस्तांतरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होकर प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र 1/6 हिस्से तक ही वैध होकर शेष हिस्सा व भाग वादीगण के मुकाबले अप्रभावी, अवैध व शून्य हैं।

इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 01 (ब) भाग में वर्णित आराजीयात में वादिया के पिता भवाना का 1/3 हिस्सा था जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/6 होकर प्रत्येक का कुल में 1/18 हिस्सा होता हैं और प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/18 हिस्सा हैं किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्से से अधिक सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पक्ष में कर दिया जो वादीगण के मुकाबले अप्रभावी व शून्य हैं। उक्त आराजीयात अविभाजित संयुक्त भूमि हैं और प्रत्येक वादीगण 1/6 हिस्से तथा 1/18 हिस्से के खातेदार हैं जो राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर उक्त आराजीयात को विधिवत रूप से विभाजित कराये जाने के अधिकारी हैं।

अतः वादीगण अनुतोष चाहते है कि इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के संयुक्त सहकाश्तकार वादीगण हैं। जिन्हें राजस्व रेकॉर्ड में 1/6 व 1/18 हिस्से से वादपत्र की कलम संख्या 07 में वर्णित अनुसार दर्ज रेकॉर्ड किया जावे एवं उक्त आराजीयात के विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात को मौके पर राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सेनुसार विभाजित कर अलग दर्ज खाता किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गई।

प्रतिवादी शंकरलाल, सीतादेवी, लीला, रूकमा की ओर श्री अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र मय जवाब दावा प्रस्तुत किया गया अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब में अंकित किया कि :-

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी नं0 3. आया वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी अविभाजित संयुक्त भूमि है और प्रत्येक वादीयागण का 1/6 हिस्सा तथा 1/18 हिस्से की खातेदार होकर बंटवाड़ा कराने की अधिकारिणी हैं ?

.... जिम्मे वादीयागण

तनकी नं0 4 आया वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है ?

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5 आया वादपत्र अवधि पार हैं ?

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 6 आया प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 सद्भाविक क्रेता हैं उसका वादपत्र पर क्या प्रभाव होगा ?

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9 आया अनुतोष क्या होगा ?

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजो का अवलोकन ...त्या एवं बहस पर मनन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं विपक्षी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वादपत्र डिक्री जाने योग्य

–: आदेश :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा **53–88–188** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ... बिजौलिया कलां प0ह0 बिजौलिया कलां स्थित आराजी नं. 761 रकबा 15 बिस्वां, आराजी नं. 762 ...बा 1 बीघा 04 बिस्वां, आराजी नं. 770 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वां, आराजी नं. 771 रकबा 2 बीघा कुल ...ता 04 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वां भूमि में प्रत्येक वादीयागण का 1/6 हिस्सा एवं ग्राम बिजौलिया कलां ...ह0 बिजौलिया कलां आराजी नं. 763 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वां, आराजी नं. 764 रकबा 02 बीघा 12 ...स्वां, आराजी नं. 765 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वां, आराजी नं. 766 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वां, आराजी नं. ... रकबा 01 बीघा 05 बिस्वां, आराजी नं. 768 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वां, आराजी नं. 769 रकबा 06 ...स्वां कुल किता 07 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वां भूमि प्रत्येक वादीयागण का 1/18 हिस्सें का खातेदार ...श्तकार घोषित किया जाकर नाम राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। ...दीयागण के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल ...हीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। डिक्री मुर्तिब की जावें। ...क्षकारान खर्चा अपना– अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा